अलग-अलग होती है, तथापि किसी विशेष वित्तीय वर्ष में प्रयोग न की गयी ऋण राशि सामान्यतः व्यपगत नहीं होती और वह उत्तर वर्षों में उपयोग के लिये आगे ले जाई जाती है।

बैंकों को बट्टे खाते में डाले गये ऋणों के लिये वित्तीय सहायता दिया जाना

879. **श्री वीरेन जे० शाह :**
डा० जितेन्द्र कुमार जैन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जुलाई, 1991 से जुलाई, 1992 की अवधि के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्यकरण के संबंध में दी गई रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि इन बैंकों द्वारा, 10,000 करोड़ रुपये की राशि बट्टे-खाते में डालने के लिये वित्तीय सहायता दिये जाने की आवश्यकता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन बैंकों द्वारा एक बड़ी राशि बट्टे खाते में डाली जा चुकी है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने धनराशि को बट्टे खाते में डालने के लिये अपनाई गई प्रक्रिया के अन्तर्गत लिये गये निर्णयों पर पुनर्विचार करने के लिये किसी जांच समिति की नियुक्ति की है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) और (ख) संभवतः माननीय सदस्यों का आशय वर्ष 1990 में भारत सरकार द्वारा तैयार की गयी कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना से है जो सरकारी क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के चुने हुये वर्गों के उधारकर्ताओं को अधिकतम 10,000/- रु० प्रति उधारकर्ता, ऋण राहत प्रदान करने के लिये थी। सरकारी बैंकों के उधारकर्ताओं के लिये भी केन्द्रीय योजना के आधार पर राज्य सरकारों ने उसी प्रकार की योजनायें तैयार की थीं। 1-2-1993 की स्थिति के अनुसार, योजना के तहत सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा 2800/- करोड़ रु० की कुल ऋण राहत प्रदान की गयी है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना दिनांक 31-3-1991 को समाप्त हो गई है।

विदेशी ऋण का पुनर्भुगतान

880. **श्री सोम पाल :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश पर बकाया कुल विदेशी ऋण कितना है ;

(ख) ब्याज के रूप में प्रति-वर्ष कितनी राशि का भुगतान किया जा रहा है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार ने ब्याज का भुगतान करने के लिये और अधिक ऋण प्राप्त किया है अथवा प्राप्त करने का प्रयास कर रही है ; और

(घ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) नवीकरण उपलब्ध सूचना के अनुसार भारत का कुल विदेशी ऋण, जिसमें अनिवासी भारतीयों की जमा राशियों और अल्पावधि ऋण भी शामिल हैं, 726720 लाख अमेरिकी डालर होने है और 30 सितम्बर, 1992 तक की स्थिति के अनुसार सिविलियन रूबल ऋण 9780 लाख रूबल होने का अनुमान है।